



प्रेषक,

अन्नावि दिनेशकुमार,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

अपर पुलिस महानिदेशक, मुख्यालय,
उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय,
लखनऊ।

गृह(पुलिस) अनुभाग-7

लखनऊ : दिनांक 07-03-2026

विषय:- जनपद गोरखपुर में उ0प्र0 विशेष सुरक्षा बल की 02 वाहिनी की स्थापना हेतु आवासीय भवनों के निर्माण कार्य की अवशेष धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय के पत्र संख्या-ग्यारह-275-2016(2आर) दिनांक 06.03.2026 के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद गोरखपुर में उ0प्र0 विशेष सुरक्षा बल की 02 वीं वाहिनी की स्थापना के लिए आवासीय भवनों के निर्माण कार्य हेतु शासनादेश संख्या- 1185/2023/II/397239/2023/001-CN-1728466-6-7099-805-2023 दिनांक 27.09.2023 द्वारा धनराशि धनराशि रू0 25523.07 लाख की लागत पर प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए धनराशि रू0 8933.07 लाख व्यय हेतु अवमुक्त की गयी, जिसके सापेक्ष कार्यदायी संस्था को सम्पूर्ण धनराशि का भुगतान कर दिया गया, शासनादेश संख्या- 146/2024/II/493262/2024/001-CN-1784410-6-7099-805-2023 Part(3) दिनांक 12.02.2024 द्वारा पूर्व निर्गत उक्त शासनादेश दिनांक 27.09.2023 को निरस्त करते हुए संशोधित ड्राइंग एवं डिजाइन के अनुसार तैयार किये गये डीपीआर के आधार पर संशोधित लागत धनराशि रू0 18633.43 लाख की लागत पर संशोधित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्त शासनादेश दिनांक 27.09.2023 द्वारा अवमुक्त धनराशि रू0 8933.07 लाख में से धनराशि रू0 6521.70 लाख व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी। पुनः शासनादेश संख्या-182/2025/II/917314/2025/001-6-7099-805-2023-Part-III दिनांक 25.03.2025 द्वारा धनराशि रू0 6521.70 लाख व्यय हेतु अवमुक्त की गयी है, जिसके सापेक्ष सम्पूर्ण धनराशि का भुगतान कर दिया गया है। प्रश्रुत निर्माण कार्य हेतु उपयोगिता प्रमाण पत्र के आधार पर प्रायोजना की स्वीकृत लागत धनराशि रू0 18633.43 लाख के सापेक्ष निविदा की लागत धनराशि रू0 17965.57 लाख में से कार्यदायी संस्था को भुगतान की गयी धनराशि रू0 13043.40 लाख को समायोजित करते हुए वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल अवशेष धनराशि रू0 4922.17 लाख में से धनराशि रू0 40,23,89,000/- (रू0 चालीस करोड़ तेईस लाख नवासी हजार मात्र) अवमुक्त किये जाने की सहर्ष स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्न शर्तों के अधीन प्रदान करते हैं- नियम/शर्तें-

- (1) उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय द्वारा शासनादेश दिनांक 27.09.2023 द्वारा अवमुक्त धनराशि रू0 8933.07 लाख के सापेक्ष बचत की धनराशि रू0 2411.37 लाख एवं उस पर अर्जित व्याज की धनराशि को राजकोष में समर्पित करने के उपरान्त ही उक्त धनराशि रू0 40,23,89,000/- (रू0 चालीस करोड़ तेईस लाख नवासी हजार मात्र) को व्यय हेतु कार्यदायी संस्था को आवंटित किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।
- (2) उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय द्वारा निर्माण कार्यों हेतु नामित कार्यदायी संस्था से उत्कृष्ट श्रेणी की गुणवत्ता के साथ कार्य निर्धारित समय में पूर्ण किये जाने तथा कार्यदायी संस्था द्वारा किसी भी दशा में कार्यों की लागत में कोई पुनरीक्षण न किये जाने के संबंध में अनुबन्ध अनिवार्य रूप से निष्पादित करा लिए जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

- (3) उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियों एवं पर्यावरण किलयरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा।
- (4) उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय द्वारा प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुरूप विभाग द्वारा स्थानीय विकास प्राधिकरण/ सक्षम लोकल अथारिटी से स्वीकृत कराया जाना होगा।
- (5) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि स्वीकृत किए जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य श्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है।
- (6) कार्ययोजना में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे नये कार्य बढ़ाना, कार्यों के आकार/ क्षेत्रफल में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियां इस्तेमाल करना इत्यादि बिना शासन के पूर्व अनुमोदन के प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।
- (7) निर्माण कार्य निर्धारित समय सीमा में पूर्ण कर उसका कब्जा विभाग को उपलब्ध करा दिया जायेगा। उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय द्वारा परियोजना के क्रियान्वयन में टाइम ओवर रन कास्ट ओवर रन को नियंत्रित करने हेतु वित्त (आय-व्यय) अनुभाग -1 के शासनादेश दि0 21.06.2017 का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।
- (8) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों एवं समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
- (9) प्रश्रुत धनराशि जिस कार्य/ मद में स्वीकृत की जा रही है उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा।
- (10) उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय द्वारा वित्त (आय-व्यय) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 27.03.2025 में निहित प्राविधानित व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये अवशेष धनराशि स्वीकृत की जायेगी तथा शासनादेश दिनांक 26-08-2014 एवं दि0 15.06.2018 के अनुसार परीक्षणोपरान्त सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त कर लिया जायेगा।
- (11) लेबर सेस की धनराशि का भुगतान श्रम विभाग को किया जायेगा।
- (12) उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय द्वारा उपकरणों का क्रय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम अनु- 2 के शा0दि0 23.08.2017 में दी गई व्यवस्था के माध्यम से किया जायेगा।
- (13) प्रायोजना हेतु जीएसटी की वास्तविक धनराशि नियमानुसार देय होगी।
- (14) क्रियान्वयन से पूर्व कार्यदायी संस्था इस प्रकार के कार्यों हेतु निर्माताओं से प्रतिस्पर्धा के आधार पर दरें प्राप्त करें। चूंकि यह प्रोप्राइटी श्रेणी के कार्य है एवं उनके शिड्यूल आफ रेट्स उपलब्ध नहीं होते हैं तथा इनके मेक, माडल एवं स्पेसिफिकेशन के अन्तर आना स्वाभाविक है।
- (15) प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही निर्माण प्रारम्भ कराया जाए।
- (16) उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि विद्युत संयोजन हेतु धनराशि विद्युत विभाग द्वारा सक्षम स्तर से अनुमोदित प्राप्त आगणन के अनुसार वास्तविकता के आधार पर देय होगी।
- (17) उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय द्वारा सेन्टेज चार्ज (प्रतिशत प्रभार), निर्माण लागत तथा वित्तीय स्वीकृतियों से सम्बन्धित वित्तीय प्रबन्धन के सम्बन्ध में वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश सं0-01 /2023/ ए-2-60 /दस-2023-17 (4)/ 75 दिनांक 17.05.2023 एवं 19.05.2023 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (18) उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय द्वारा प्रश्रुत प्रायोजना की भौतिक प्रगति, धनराशि अवमुक्त तथा सी0एम0आई0एस0 पोर्टल पर दर्ज किये जाने आदि के सम्बन्ध में नियोजन अनुभाग-1 के शासनादेश दिनांक 07.06.2022 में निहित प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (19) जी0एस0टी0 गणना की शुद्धता का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय का होगा।
- (20) किसी भी अनियमितता हेतु उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय/कार्यदायी संस्था उत्तरदायी होंगे।
- (21) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों समय – समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
- (22) प्रश्रुत कार्य हेतु पूर्व में जारी शासनादेश दिनांक 25.03.2025/12.02.2024 में अंकित शर्तों के अधीन अग्रेतर कार्यवाही की जाये।
- (23) उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय द्वारा स्वीकृत धनराशि का उपयोग 31.03.2026 तक कर लिया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 40,23,89,000 (रुपये चालीस करोड़ तेईस लाख नवासी हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 026 लेखा शीर्षक 4055002110600 पुलिस विभाग के आवासीय भवनों का निर्माण मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 6/2025/वी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक- 27-मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
अन्नावि दिनेशकुमार
विशेष सचिव।

संख्या-160/2026//1258702/2026/001-6-7099-805-2023-Part-3, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
- 2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
- 3- पुलिस महानिदेशक, मुख्यालय, उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय, लखनऊ।
- 4- मुख्य अभियन्ता, तकनीकी सेल, ई0पी0सी0 मिशन, नियोजन विभाग, लखनऊ।
- 5- मुख्य अभियन्ता(भवन), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
- 6- सम्बन्धित जिलाधिकारी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक ।
- 7- वित्त नियंत्रक, उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय, लखनऊ।
- 8- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय जवाहर भवन लखनऊ ।
- 9- मुख्य /वरिष्ठ कोषाधिकारी जवाहर भवन लखनऊ।
- 10- मुख्य कोषाधिकारी, आदर्श कोषागार कलेक्ट्रेट लखनऊ।
- 11- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-12
- 12- गार्ड फाइल हेतु ।

आज्ञा से,
दीपक पटेल
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।